


साहू जैन कॉलेज नजीबाबाद



विवरणिका
2024—2025

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय – एक परिचय

उन्नीसवीं शताब्दी में जन्मे ज्योतिराव गोविंदराव फुले (जन्म-11 अप्रैल 1827, मृत्यु-28 नवम्बर 1890) को महात्मा फुले एवं ज्योतिबाफुले के नाम से भी जाना जाता है। उन्हीं के नाम पर हमारे विश्वविद्यालय का नाम 'महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय' बरेली रखा गया है। महात्मा ज्योतिबा फुले महान समाजसेवी, शिक्षाविद्, लेखक, दार्शनिक, क्रान्तिकारी तथा विचारक थे। महाराष्ट्र में सितम्बर 1873 में महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने 'सत्यशोधक समाज' नामक संस्था का गठन करके महिलाओं, पिछड़ों एवं दलितों के उत्थान के लिए अनेकों उल्लेखनीय कार्य किये। समाज के सभी वर्गों को तर्क आधारित शिक्षा प्रदान करने के ये प्रबल समर्थक थे।

साहू जैन कॉलेज – एक परिचय

साहू जैन कॉलेज, नजीबाबाद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहायता प्राप्त नगर का एकमात्र सहशिक्षा संस्थान है। यह कॉलेज महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली से सम्बद्ध तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा धारा-2F तथा धारा-12B में पंजीकृत है। कॉलेज में तीन संकाय; कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में पठन-पाठन की सुविधा है। कॉलेज का क्षेत्रफल 10.5 एकड़ है जिसमें पृथक-पृथक प्रशासनिक भवन, विज्ञान भवन, कला एवं वाणिज्य भवन, पाठ्य सहगामी कार्यक्रमों के लिये भवन तथा वर्धमान जैन नामक पुस्तकालय स्थित है। सभी भवन भव्य, आकर्षक, विशाल एवं आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं। प्रयोगशालायें आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हैं। कॉलेज में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है। सी.सी.टी.वी. कैमरे से महाविद्यालय परिसर की निगरानी होती है। छात्र-छात्राओं को आधुनिक शिक्षण सामग्री से परिचित कराने के लिये स्मार्ट कक्षायें निर्मित की गयी हैं। कॉलेज अपने गौरवशाली अतीत के अनुरूप पूरी जीवंतता के साथ ज्ञान-विज्ञान की दिशा में नयी ऊंचाईयां छू रहा है।

दानवीर, साहित्य प्रेमी, शिक्षाविद्, प्रसिद्ध उद्योगपति **सेठ श्री शांति प्रसाद जैन** एवं उनकी धर्मपत्नी **श्रीमती रमा जैन** ने अपने विद्या एवं शिक्षा प्रेम के कारण 1966 में साहू जैन कॉलेज स्थापित कर नगर में उच्च शिक्षा की कमी को पूरा किये जाने का प्रशंसनीय कार्य किया। महाविद्यालय के संस्थापकों की कामना थी कि यह एक प्रगतिशील और आदर्श संस्था बने जहाँ विद्यार्थियों का चारित्रिक, बौद्धिक और पूर्ण शैक्षिक विकास हो। अपने पूजनीय माता-पिता के महान उद्देश्यों को साकार करने एवं महाविद्यालय के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के लिए **स्वर्गीय साहू श्री अशोक कुमार जैन** (भूतपूर्व अध्यक्ष, टाइम्स ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली) एवं उनकी धर्मपत्नी **स्वर्गीय श्रीमती इन्दु जैन** के सद्प्रयासों से वर्ष 1966 में स्थापित यह पौधा, आज एक विशाल वृक्ष का रूप धारण करता हुआ अपने लक्ष्य की ओर निरन्तर अग्रसर है।

प्रबन्धक **श्री अरुण कुमार** के कुशल नेतृत्व तथा प्रबन्ध समिति के सदस्यों के सद्दिशा निर्देशन में नजीबाबाद क्षेत्र की यह संस्था चतुर्मुखी प्रगति करती हुई विश्वविद्यालय एवं प्रदेश की अग्रणी शिक्षण संस्था के रूप में प्रतिष्ठित है।

कर्मशील प्राचार्य **प्रोफेसर बलराम सिंह**, विद्वान शिक्षकों एवं कुशल सहकर्मियों के सहयोग से अपनी गौरवमयी समृद्ध परम्पराओं को सहेजते हुए साहू जैन महाविद्यालय अदम्य उत्साह, आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छाशक्ति और नये संकल्पों के साथ सफलता के नये आयाम छू रहा है।

शिक्षक मंडल

प्राचार्य : प्रोफेसर बलराम सिंह

विज्ञान संकाय

रसायन शास्त्र विभाग

- डॉ० (श्रीमती) नीलम बालियान (एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष)
- प्रोफेसर अनिल कुमार
- डॉ० मुकेश कुमार (असिस्टेंट प्रोफेसर)
- श्री विकास यादव (असिस्टेंट प्रोफेसर)
- डॉ० मनोज कुमार (असिस्टेंट प्रोफेसर)
- श्री अनुराज (असिस्टेंट प्रोफेसर)
- रिक्त पद -03

वनस्पति विज्ञान विभाग

- रिक्त पद -02

जन्तु विज्ञान विभाग

- डॉ० आशुतोष त्रिपाठी (असिस्टेंट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष)
- रिक्त पद -01

गणित विभाग

- कुमारी जाह्नवी (असिस्टेंट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष)
- डॉ० नवीन द्विवेदी (असिस्टेंट प्रोफेसर)
- रिक्त पद -01

भौतिक शास्त्र विभाग

- श्री नवीन कुमार (असिस्टेंट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष)
- कुमारी सरोज बाई (असिस्टेंट प्रोफेसर)

वाणिज्य संकाय

- प्रोफेसर मनीष कुमार गुप्ता (अध्यक्ष)
- प्रोफेसर परमिल कुमार
- श्री शिवम राय (असिस्टेंट प्रोफेसर)
- रिक्त पद -02

शारीरिक शिक्षा

- डॉ० गुरुप्रीत सिंह (एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष)
- डॉ० अनिल कुमार राजपूत (असिस्टेंट प्रोफेसर)

टिप्पणी : रिक्त पदों पर नियुक्तियां उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन हैं।

कला संकाय

हिन्दी विभाग

- प्रोफेसर अरुण देव जायसवाल (अध्यक्ष)
- डॉ० शैलेन्द्र पाल सिंह (असिस्टेंट प्रोफेसर)
- रिक्त पद -02

समाज शास्त्र विभाग

- प्रोफेसर बलराम सिंह (अध्यक्ष)
- प्रोफेसर गौतम बनर्जी
- श्री अनुराग कुमार सिंह (असिस्टेंट प्रोफेसर)
- डॉ० सूर्यकांत भारती (असिस्टेंट प्रोफेसर)
- श्री उमेश कुमार (असिस्टेंट प्रोफेसर)

भूगोल विभाग

- प्रोफेसर हरविन्दर सिंह (अध्यक्ष)
- प्रोफेसर प्रभाकर मणि काला

अर्थशास्त्र विभाग

- डॉ० जयेश कुमार (असिस्टेंट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष)
- कुमारी मोनिका सागर (असिस्टेंट प्रोफेसर)

राजनीति शास्त्र विभाग

- श्री प्रवीण सिंह (असिस्टेंट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष)
- रिक्त पद -01

संस्कृत विभाग

- प्रोफेसर (श्रीमती) रीना (अध्यक्षा)

अंग्रेजी विभाग

- डॉ० पवन कुमार (असिस्टेंट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष)
- डॉ० देवेन्द्र कुमार मौर्य (असिस्टेंट प्रोफेसर)
- कुमारी अनिन्दिता बोस (असिस्टेंट प्रोफेसर)
- श्री नवीन कुमार (असिस्टेंट प्रोफेसर)
- रिक्त पद -01

संगीत विभाग

- डॉ० दीपक त्रिपाठी (असिस्टेंट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष)

शिक्षणेत्तर मंडल

कार्यालय

तृतीय श्रेणी कर्मचारी

कार्यालय सहायक

1. रिक्त पद – कार्यालय अधीक्षक – 01
2. श्री हृदय प्रकाश, कार्यकारी कार्यालय अधीक्षक
3. श्री राजपाल सिंह, सहायक लेखाकार
4. श्री कुलदीप सिंह, आशुलिपिक
5. श्री विजय भारद्वाज, कनिष्ठ सहायक
6. श्रीमती शबाना परवीन, कनिष्ठ सहायक
7. श्रीमती सुषमा देवी, कनिष्ठ सहायक
8. रिक्त पद – कनिष्ठ सहायक – 01

तबला संगतकार

1. रिक्त पद – 01

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

कार्यालय परिचर

1. रिक्त पद – दफ्तरी – 01
2. श्री संदीप कुमार
3. श्री अजय कुमार
4. श्रीमती सुनीता सिंह
5. श्री विनिल कुमार शर्मा
6. रिक्त पद – 01

चौकीदार

1. श्री रणवीर सिंह
2. श्री धीर सिंह
3. रिक्त पद – 01

स्वच्छकार

1. श्री नरेन्द्र कुमार घाघट
2. श्रीमती गीता देवी

माली

1. श्री सुरेन्द्र सिंह

प्रयोगशाला

प्रयोगशाला सहायक

1. डॉ० नीरज शर्मा, रसायन प्रयोगशाला
2. श्री तुषार कुमार गुप्ता, भौतिकी प्रयोगशाला
3. श्री उमेश कुमार, रसायन प्रयोगशाला
4. रिक्त पद – 01

प्रयोगशाला परिचर

1. श्रीमती मंजू पाल
2. श्री सुभाष चन्द्र
3. श्री राजेश कुमार
4. श्री सुभाष कुमार
5. रिक्त पद – 03

पुस्तकालय

पुस्तकालय सहायक

1. रिक्त पद – पुस्तकालयाध्यक्ष – 01
2. श्री शक्ति सिंह – कार्यकारी पुस्तकालय प्रभारी
3. रिक्त पद – कनिष्ठ सहायक – 01

टिप्पणी : रिक्त पदों पर नियुक्तियां शासन द्वारा प्रसारित नियमों के आधीन होती हैं।

पुस्तकालय परिचर

1. श्री बेगराज सिंह, कार्यकारी दफ्तरी
2. श्रीमती बाला रानी

अध्ययन के विषय

शोध

कॉलेज में समस्त संकायों में पीएच.डी. उपाधि हेतु शोध अध्ययन की सुविधायें उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुपालन में पीएच.डी. उपाधि हेतु पंजीकरण महाविद्यालय द्वारा किया जाता है। निम्न विषयों में पीएच.डी. उपाधि हेतु शोध अध्ययन की सुविधायें उपलब्ध हैं—

- हिन्दी
- समाजशास्त्र
- गणित
- अंग्रेजी
- भूगोल
- राजनीतिशास्त्र
- वाणिज्य
- रसायन शास्त्र

अध्ययन के विषय

कला संकाय

एम0ए0

विषय उपलब्ध—

- हिन्दी
- समाजशास्त्र
- गणित
- अंग्रेजी (स्व-वित्तपोषित)
- भूगोल (स्व-वित्तपोषित)
- राजनीतिशास्त्र (स्व-वित्तपोषित)।

प्रत्येक विषय में एक सैक्शन (80 सीट) उपलब्ध हैं। स्व-वित्तपोषित प्रत्येक विषय में एक सैक्शन (30 सीट) उपलब्ध हैं। इन उपलब्ध सीटों के अतिरिक्त कुल सीटों की 10 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षित हैं।

- एम0 ए0 पाठ्यक्रम कुल 4 सेमेस्टर अर्थात 2 वर्ष की अवधि का है।

बी0ए0

विषय उपलब्ध—

- हिन्दी
- समाजशास्त्र
- गणित
- अंग्रेजी
- भूगोल
- राजनीतिशास्त्र
- संस्कृत
- अर्थशास्त्र
- संगीत (तबला)
- शारीरिक शिक्षा

बी. ए. में कुल 7 सैक्शन (540 सीट) उपलब्ध हैं। इन उपलब्ध सीटों के अतिरिक्त कुल सीटों की 10 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षित हैं।

- बी0ए0 पाठ्यक्रम कुल 6 सेमेस्टर अर्थात 3 वर्ष की अवधि का है।
- सेमेस्टर कक्षाओं हेतु मुख्य विषयों, माइनर विषय, को-करिकुलर विषय तथा वोकेशनल विषयों का आवंटन महाविद्यालय द्वारा सीट उपलब्धता एवं विश्वविद्यालय के नियमानुसार किया जायेगा।

अध्ययन के विषय

विज्ञान संकाय

एम0 एससी0

विषय उपलब्ध—

- रसायनशास्त्र
- गणित

- एम0एससी0 रसायनशास्त्र में एक सैक्शन (24 सीट) उपलब्ध हैं। एम0एससी0 गणित में एक सैक्शन (80 सीट) उपलब्ध हैं। इन उपलब्ध सीटों के अतिरिक्त कुल सीटों की 10 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षित हैं।
- एम0 एससी0 पाठ्यक्रम कुल 4 सेमेस्टर अर्थात 2 वर्ष की अवधि का है।

बी0 एससी0 (जीव विज्ञान)

विषय उपलब्ध—

- रसायनशास्त्र
- जन्तु विज्ञान
- वनस्पति विज्ञान

- बी0एससी0 जीव विज्ञान में 1 सैक्शन (80 सीट) उपलब्ध हैं। इन उपलब्ध सीटों के अतिरिक्त कुल सीटों की 10 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षित हैं।
- बी0 एससी0 पाठ्यक्रम कुल 6 सेमेस्टर अर्थात 3 वर्ष की अवधि का है।

बी0 एससी0 (गणित)

विषय उपलब्ध—

- भौतिकशास्त्र
- रसायनशास्त्र
- गणित

- बी0एससी0 (गणित) में 2 सैक्शन (160 सीट) उपलब्ध हैं। इन उपलब्ध सीटों के अतिरिक्त कुल सीटों की 10 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षित हैं।
- बी0एससी0 पाठ्यक्रम कुल 6 सेमेस्टर अर्थात 3 वर्ष की अवधि का है।

- सेमेस्टर कक्षाओं हेतु मुख्य विषयों, माइनर विषय, को-करिकुलर विषय तथा वोकेशनल विषयों का आवंटन महाविद्यालय द्वारा सीट उपलब्धता एवं विश्वविद्यालय के नियमानुसार किया जायेगा।

अध्ययन के विषय

वाणिज्य संकाय

एम0 कॉम0

विषय उपलब्ध—

विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी प्रश्न-पत्र ।

- एम0 कॉम0 में 1 सैक्शन (80 सीट) उपलब्ध हैं। इन उपलब्ध सीटों के अतिरिक्त कुल सीटों की 10 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षित हैं।

- एम0कॉम0 पाठ्यक्रम कुल 4 सेमेस्टर अर्थात 2 वर्ष की अवधि का है।

बी0 कॉम0

विषय उपलब्ध—

विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी प्रश्न-पत्र ।

- बी0 कॉम0 में 1 सैक्शन (80 सीट) उपलब्ध हैं। इन उपलब्ध सीटों के अतिरिक्त कुल सीटों की 10 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षित हैं।
- बी0 कॉम0 पाठ्यक्रम कुल 6 सेमेस्टर अर्थात 3 वर्ष की अवधि का है।
- सेमेस्टर कक्षाओं हेतु मुख्य विषयों, माइनर विषय, को-करिकुलर विषय तथा वोकेशनल विषयों का आवंटन महाविद्यालय द्वारा सीट उपलब्धता एवं विश्वविद्यालय के नियमानुसार किया जायेगा।

शैक्षिक गतिविधियां एवं सुविधायें

आन्तरिक शैक्षणिक सम्प्रेषण इकाई

महाविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता महाविद्यालय की प्रगति एवं गरिमा में वृद्धि के लिये आवश्यक है। शिक्षण कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में महाविद्यालय में "आन्तरिक शैक्षणिक सम्प्रेषण इकाई" गठित है। इस इकाई द्वारा पता लगाया जाता है कि अभिभावकों में महाविद्यालय के शिक्षण को लेकर किस प्रकार की ख्याति है। यदि इसमें कोई दोष ज्ञात होता है तो उसे दूर करने के प्रयास किये जाते हैं। "आन्तरिक शैक्षणिक सम्प्रेषण इकाई" का यह भी कर्तव्य है कि वह प्रत्येक सत्र में यह ब्यौरा भी रखे कि महाविद्यालय से उत्तीर्ण विद्यार्थी किन-किन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो रहे हैं, और उन्हें उनकी योग्यतानुसार रोजगार मिल रहा है अथवा वे शोध कार्य आदि में संलग्न हैं।

"आन्तरिक शैक्षणिक सम्प्रेषण इकाई" महाविद्यालय में प्रवेशित छात्र-छात्रा का डाटा बेस तैयार करती है, जिससे उनमें छुपी हुई प्रतिभाओं को निकालकर उनका समुचित विकास किया जा सके। महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों की उल्लेखनीय उपलब्धियों का समादर कर पुरस्कृत किया जाता है जिससे अन्य छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन मिले।

महाविद्यालय में पठन-पाठन का कार्य समय सारणी के अनुरूप किया जाता है। कक्षाओं में व्याख्यान के अतिरिक्त अन्य आधुनिक शैक्षणिक विधियों का समावेश करना इस इकाई का दायित्व है। जैसे- संगोष्ठी, वाद-विवाद, लघु शोध, विषय-प्रोजेक्ट, लघु शैक्षणिक फिल्मों का प्रदर्शन, विषय से संबन्धित स्थलों का सामूहिक भ्रमण इत्यादि।

जीविका मार्गदर्शन व परामर्श

Career Guidance and Consultancy

1. महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों हेतु योग्यता के अनुसार विभिन्न संस्थानों एवं कम्पनियों में रोजगार प्राप्त कराने के उद्देश्य से विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को आमंत्रित कर मार्गदर्शन दिलवाया जाता है। प्रतिवर्ष विभिन्न निजी कम्पनियां एवं निजी बैंक महाविद्यालय में उपस्थित होकर कैम्पस चयन की प्रक्रिया करते हैं।
2. महाविद्यालय के विद्यार्थियों हेतु विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु जैसे UGC-CSIR-NET, SLET, GATE, CAT, GRE, TOEFL, GMAT, CIVIL SERVICES-IAS, IPS, IFS, CENTRAL/STATES SERVICES) हेतु समय-समय पर योग्य अध्यापकों द्वारा आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन दिया जाता है।

पाठ्येत्तर गतिविधियां एवं सुविधायें

महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं के विकास के लिये पठन-पाठन के अतिरिक्त अन्य शिक्षणेत्तर कार्यकलापों की व्यवस्था है। प्रवेश के पश्चात् विद्यार्थी सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क कर इच्छानुसार अपना नाम इस गतिविधियों हेतु पंजीकृत करा सकते हैं।

• राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC)

महाविद्यालय में राष्ट्रीय कैडेट कोर की छात्र-छात्राओं के लिये पृथक-पृथक दो इकाइयां हैं।

इकाई का नाम	उपलब्ध स्थान	प्रभारी प्राध्यापक का नाम
30 UP BN NCC (Girls Unit)	55	कैप्टन प्रोफेसर (श्रीमती) रीना
30 UP BN NCC (Boys Unit)	55	लैफ्टिनेंट डॉ० गुरुप्रीत सिंह

राष्ट्रीय कैडेट कोर में चयन महाविद्यालय के राष्ट्रीय कैडेट कोर के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। राष्ट्रीय कैडेट कोर के विद्यार्थियों के लिये विश्वविद्यालय के अतिरिक्त राज्य एवं केन्द्रीय सरकार ने विशेष सुविधा की घोषणा की है। 'बी' एवं 'सी' प्रमाण पत्र धारकों को उच्च कक्षाओं में प्रवेश के समय तथा विभिन्न सरकारी सेवाओं में अधिभार मिलता है।

• राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS)

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्र एवं छात्राओं के लिये पृथक-पृथक इकाइयां हैं जिनमें प्रत्येक में 100 स्थान उपलब्ध हैं। भारत सरकार के शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित यह योजना स्नातक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के लिये एक महत्वपूर्ण ऐच्छिक कार्यक्रम है। इसके अन्तर्गत पंजीकृत छात्र/छात्राएँ मद्य निषेध, स्वच्छता, अल्प-बचत, वृक्षारोपण, प्रदूषण, विभिन्न सामाजिक कुरीतियों आदि विभिन्न विषयों पर कार्यक्रम कर समाज के कोने-कोने में नव चेतना का प्रचार-प्रसार करते हैं। इस योजना में विद्यार्थियों के विशेष शिविर ग्रामीण अंचल में लगाये जाते हैं जहां विद्यार्थी निरन्तर एक/सात दिन परिश्रम करके सड़कों का निर्माण, सफाई आदि करते हैं। साथ ही ये विद्यार्थी अपने महाविद्यालय में भी स्वच्छता एवं अनुशासन बनाये रखने में सहयोग करते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविरों के प्रमाण-पत्रों का उच्च शिक्षा में प्रवेश के समय अधिभार मिलता है।

● रोवर्स/रेंजर्स

स्काउट एवं गाइड के अन्तर्गत रोवर्स एवं रेंजर्स के विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों की व्यवस्था है। रोवर्स लीडर डॉ० सूर्यकांत भारती व रेंजर्स लीडर कु० जाहन्वी के निर्देशन में कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

● खेलकूद (Sports)

महाविद्यालय के पास विशाल क्रीड़ा क्षेत्र है जहां लगभग सभी खेलों और क्रीड़ाओं के लिये पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हैं। आउटडोर खेलों में फुटबॉल, हॉकी, वालीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, लॉन टेनिस तथा बैडमिन्टन की सुविधा है। इन्डोर खेलों में कैरम, शतरंज, टेबिल टेनिस तथा व्यायामशाला की सुविधा है।

● वार्षिक पत्रिका

महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के ज्ञानवर्धन और रचनात्मकता के प्रश्रय के लिए वार्षिक पत्रिका समिति का दायित्व; महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका के प्रकाशन के लिए छात्र/छात्राओं को मौलिक लेखन के लिए प्रेरित करना तथा उनकी विषय-वस्तु का परीक्षण करना है जिससे समुचित सामग्री पाठकों तक पहुंचे।

● यौन उत्पीडन निषेध प्रकोष्ठ/महिला शिकायत निषेध प्रकोष्ठ

यह प्रकोष्ठ महाविद्यालय में कार्यरत महिलाओं एवं छात्राओं को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित है।

● सांस्कृतिक परिषद

महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं के स्वस्थ एवं सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक परिषद है। यह परिषद समय-समय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे सामान्य ज्ञान, निबन्ध, वाद-विवाद, पेटिंग, भाषण, स्लोगन, नृत्य, गायन, साहित्य लेखन एवं पाठन, तथा गोष्ठी आदि का आयोजन करती है; साथ ही पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्षारोपण कार्यक्रमों का भी आयोजन करती है। राष्ट्रीय पर्वों पर ध्वजारोहण आदि का आयोजन करना भी इसी समिति का दायित्व है।

● छात्र कल्याण परिषद

यह परिषद छात्र कल्याण तथा उनको उचित निर्देशन प्रदान करने का कार्य करती है। इसके अन्तर्गत विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है—

1. **शुल्क मुक्ति** : इसका आधार शैक्षिक योग्यता एवं संरक्षक की आय है। शुल्क मुक्ति आवेदन पत्र प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है।

2. **रेल किराये में छूट** : यह सुविधा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रसारित नियमों के अनुसार दी जाती है।
3. **मतदाता प्रमाण पत्र** : यह सुविधा केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा प्रसारित नियमों के अनुसार दी जाती है।
4. **प्राथमिक चिकित्सा** : प्राथमिक चिकित्सा हेतु महाविद्यालय में कुशल व योग्यता प्राप्त चिकित्सक उपलब्ध है।

- **स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना**

स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के उत्तीर्ण छात्रों को स्मार्ट फोन/टैबलेट महाविद्यालय के माध्यम से वितरित कराती है।



अनुशासन परिषद

महाविद्यालय प्रांगण में अनुशासन बनाये रखने और उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने के लिये अनुशासन परिषद है। अनुशासन परिषद अनुशासनहीनता के प्रकरणों कड़ी दृष्टि रखती है और दोषी विद्यार्थियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करती है। प्रत्येक विद्यार्थी को परिचय पत्र बनवाने के लिये इस परिषद के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है। शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग जैसी कुप्रथा पर पूर्णरूप से प्रतिबन्ध लगाना इस परिषद का दायित्व है। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक: 16.05.2007 एवं 11.02.2009 के आलोक में शासनादेश सं०-746/70-1-2009 लखनऊ दिनांक 26.03.2009 का पालन किया जाना अनिवार्य है।

अनुशासन सम्बन्धी नियम

1. प्रत्येक छात्र या छात्रा एवं उसके अभिभावकों को महाविद्यालय में प्रवेश के समय इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि यदि छात्र या छात्रा संस्था के परिसर में या बाहर रैगिंग में लिप्त पाये गये तो उन्हें महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा तथा उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं छात्र या छात्रा की होगी।
2. किसी भी छात्र या छात्रा को रैगिंग से सम्बन्धित कोई शिकायत हो तो वह चीफ प्रोक्टर अथवा छात्र कल्याण परिषद को अपनी शिकायत के लिखित रूप में दे जिससे उसकी जांच कर उसका निराकरण किया जा सके।
3. महाविद्यालय में किसी भी छात्र/छात्रा द्वारा धूम्रपान तथा नशीले पदार्थ के सेवन पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध रहेगा। यदि कोई छात्र या छात्रा इन पदार्थों का सेवन करते हुए पकड़ा जाता/पकड़ी जाती है तो उसे दण्डित किया जायेगा।
4. छात्र/छात्राओं द्वारा परिसर के अन्दर लाइसेन्सी आग्नेयास्त्र सहित समस्त प्रकार के हथियार लाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध रहेगा।
5. रैगिंग की घटनाओं में लिप्त पाये जाने वाले छात्र/छात्राओं के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी, जिसमें महाविद्यालय से निलंबन, छात्रवृत्ति बन्द किये जाने आदि की कार्यवाही भी सम्मिलित होगी जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित छात्र/छात्रा का ही होगा।
6. माननीय उच्चतम न्यायालय के नवीनतम आदेश दिनांक 08.5.2009 के अनुसार रैगिंग में लिप्त छात्र/छात्राओं के विरुद्ध आपराधिक मामले के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करा दी जायेगी तथा उन्हें संस्थान से निष्कासित कर दिया जायेगा।

विद्यार्थी का परिचय पत्र

1. विद्यार्थी का परिचय पत्र इस महाविद्यालय की सदस्यता को प्रमाणित करता है।
2. प्रवेश शुल्क जमा करने के उपरांत परिचय पत्र प्राप्त किया जा सकेगा।
3. परिचय पत्र पर युनीक नं० होगा। इस परिचय पत्र से ही छात्र-छात्राओं की बायोमैट्रिक उपस्थिति लगेगी और मान्य होगी।
4. परिचय पत्र को बहुत संभालकर रखना चाहिये। उन सभी स्थानों और अवसरों पर जहां इस महाविद्यालय के विद्यार्थियों का उपस्थित होने का अधिकार है, यह परिचय पत्र प्रत्येक दशा में विद्यार्थी के पास होना आवश्यक है।
5. चूंकि यह कार्ड छात्र/छात्रा के नाम पर निर्गत होगा, इस कारण कॉलेज प्राध्यापकों द्वारा मांगने पर इसे प्रस्तुत ना कर पाने की स्थिति में विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करा जा सकता है।
6. परिचय पत्र खो जाने पर ₹ 100/- की धनराशि जमा करने तथा मुख्य अनुशासक की संस्तुति पर ही इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है।
7. महाविद्यालय के बाहर विभिन्न अवसरों पर भी परिचय पत्र उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अतः छात्र छात्राओं को अपने हित में महाविद्यालय का परिचय पत्र सदैव अपने पास रखना चाहिए।



छात्रवृत्ति

छात्रवृत्ति केन्द्र/राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति-जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग के समस्त छात्र/छात्राओं को यह सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से छात्रवृत्ति अग्रसारण समिति गठित है।

छात्रवृत्ति अग्रसारण सम्बन्धी नियम

1. स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति-जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग के समस्त छात्र/छात्राएँ अपना नवीनतम छात्रवृत्ति आवेदन पत्र केन्द्रीय/राज्य सरकार/महाविद्यालय द्वारा प्रसारित नियमों के अनुसार भरे इन नियमों की जानकारी हेतु इधर-उधर भ्रमित न होकर महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड को देखकर प्राप्त करने का दायित्व स्वयं छात्र-छात्राओं का होगा।
2. जनपद बिजनौर की किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की C.B.S. शाखा में खोले गये बैंक बचत खातों का एकाउन्ट नम्बर छात्रवृत्ति हेतु आवश्यक है।
3. छात्र-छात्राएँ महाविद्यालय में अध्ययन की अवधि में छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में दिए गए बैंक खाते/शाखा में परिवर्तन न करें। खाते को चालू रखें तथा बीच-बीच में बंद ना कराएं।
4. उ.प्र. शासन के निर्देशानुसार छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु बायोमैट्रिक 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। जो विद्यार्थी कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण नहीं करेंगे; उनको छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया जायेगा।
5. संज्ञान में आया है कि छात्र-छात्राएँ आधी अधूरी सूचनाओं के साथ छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरकर जमा कर देते हैं जिससे उनके आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं होते हैं और वे छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं। प्रत्येक कक्षा के लिए अलग-अलग कार्यक्रम जारी किए जाएंगे और उसी के अनुसार छात्रवृत्ति आवेदन पत्र अग्रसारित किए जाएंगे। अतः आवश्यक है कि महाविद्यालय के निर्देशानुसार आवेदन पत्र भरें।

पुस्तकालय

पुस्तकालय किसी भी शिक्षण संस्थान के प्राण और उसकी महत्ता का द्योतक होता है। महाविद्यालय के पुस्तकालय में सभी विषयों की पुस्तकों का वृहद संग्रह है। निर्धन विद्यार्थियों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिये बुक बैंक स्थापित है। वाचनालय में दैनिक पत्र, साप्ताहिक एवं मासिक पत्रिकाओं के अतिरिक्त विभिन्न विषयों की शोध पत्रिकाएँ भी उपलब्ध हैं।

पुस्तकालय सम्बन्धी नियम

1. पुस्तकें प्राप्त करने हेतु पुस्तकालय कार्ड बनवाना अनिवार्य है। प्रवेश के बाद पुस्तकालय में कार्ड बनाये जाते हैं जिसके लिये प्रवेश की रसीद, एक फोटो एवं परिचय पत्र लाना आवश्यक है। पुस्तकालय कार्ड खो जाने पर छात्र/छात्रा पुस्तकालय में अविलम्ब लिखित रूप से सूचना देंगे तथा रु0 10/- जमा करने पर ही पुनः कार्ड प्रदान किया जायेगा। यह कार्ड अहस्तांतरणीय होता है। अतः दूसरे विद्यार्थी को नहीं देना चाहिये।
2. पुस्तकालय में प्रवेश के समय छात्र-छात्राओं को पुस्तकालय कार्ड व परिचय पत्र साथ लाना होगा, क्योंकि केवल संस्थागत छात्र/छात्रायें ही महाविद्यालय के पुस्तकालय की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं।
3. स्नातक स्तर के विद्यार्थी कार्ड पर दो पुस्तकें तथा स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी तीन पुस्तकें एक साथ ले सकते हैं।
4. छात्र-छात्रा को पुस्तकालय के कार्ड के विनिमय में ही पुस्तक दी जायेगी। पुस्तक लौटा देने पर छात्र-छात्रा को कार्ड वापस दे दिया जायेगा।
5. छात्र-छात्रा को पुस्तकें सामान्यतः एक सप्ताह के लिये दी जाती हैं किन्तु अधिक मांग में रहने वाली पुस्तकें कम समय के लिये भी दी जा सकती हैं। जिन पुस्तकों की मांग कम है, वे पुनः प्राप्त की जा सकती हैं। निश्चित अवधि से अधिक समय तक पुस्तक रखने पर छात्र/छात्रा से प्रतिदिन रु0 1/- प्रति पुस्तक विलम्ब शुल्क देय होगा। परीक्षा तक पुस्तकालय की पुस्तकें न लौटाने की दशा में छात्र/छात्राओं को परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।
6. छात्र-छात्राओं को पुस्तकें विषय व दिन के अनुसार दी एवं ली जाती हैं। पुस्तक लेने से पूर्व विद्यार्थी पुस्तक का भली प्रकार निरीक्षण कर लें, यदि पुस्तक ठीक स्थिति में न हो तो उसी समय पुस्तकालय प्रभारी को सूचित करें अन्यथा पुस्तक लेने वाले छात्र-छात्रा को ही नई पुस्तकें देने का या उनके मूल्य का भार वहन करना पड़ेगा।
7. पुस्तक खो जाने पर छात्र-छात्रा से पुस्तक अथवा पुस्तकों का वर्तमान मूल्य लिया जाएगा।
8. संदर्भ पुस्तकें तथा अध्ययन कक्ष की निम्नलिखित पुस्तकें घर के लिए नहीं दी जा सकती हैं —
 1. शब्द कोष (Dictionaries)
 2. विश्व कोष (Encyclopedias)
 3. वर्ष पुस्तकें (Year Books)
 4. जीवनी सम्बन्धी कोष (Biographical Dictionaries)
 5. भू-चित्रावली (Atlas)

6. संदर्भ ग्रन्थ (Reference Books)
7. शोध प्रबंध (Thesis)
8. पत्रिकाएं एवं समाचार पत्र (Magazines & Newspapers)



खेलकूद सम्बन्धी नियम

साहू जैन महाविद्यालय अपने खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा विभाग के माध्यम से विद्यार्थियों को विभिन्न आउट-डोर एवं इन-डोर खेलों का शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान करता है। वर्तमान समय में खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा विभाग के माध्यम से महाविद्यालय में विभिन्न इन-डोर खेलों जैसे कैरम, टेबल टेनिस, शतरंज इत्यादि तथा विभिन्न प्रकार के आउट-डोर खेलों जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, वालीबॉल, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, बास्केट बॉल, कबड्डी एवं खो-खो इत्यादि की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष महाविद्यालय के संस्थागत विद्यार्थियों के लिए आंतरिक स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इन आंतरिक प्रतियोगिताओं में चयनित किए गए कुशल खिलाड़ियों को आवश्यक शिक्षण-प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें अंतर-महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में तथा विश्वविद्यालय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग हेतु भेजा जाता है। खेलों में प्रतिभाग करने हेतु विद्यार्थियों के चयन में महाविद्यालय की क्रीड़ा समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। खेलों में प्रतिभाग करने वाले विद्यार्थियों को उच्च कोटि का अनुशासन, संयम एवं खेल भावना का परिचय देना होता है।

प्रत्येक वर्ष महाविद्यालय के वार्षिक खेलों का भी आयोजन किया जाता है जिसमें प्रतिभाग करने वाले विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होने वाली अंतर-महाविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेने भेजा जाता है। विश्वविद्यालय द्वारा चयनित विद्यार्थियों को गहन प्रशिक्षण के उपरांत अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु विश्वविद्यालय की ओर से भेजा जाता है।

खेलों के अलावा विद्यार्थियों को शारीरिक शिक्षा संबंधी विभिन्न जानकारियां भी प्राध्यापकों के माध्यम से दी जाती हैं ताकि वे अपनी दिनचर्या में स्वस्थ, संयमित एवं स्फूर्तिवान रहें। खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा विभाग के विभिन्न क्रियाकलापों एवं प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु केवल संस्थागत अभ्यर्थी ही अनुमन्य हैं जिनके पास कॉलेज का वैध पहचान पत्र तथा चालू सत्र की शुल्क भुगतान की प्रमाणित रसीद हो।

प्रवेश के मापदंड

1. महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों में संचालित स्नातक प्रथम सेमेस्टर एवं परास्नातक प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों (जिसमें प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नहीं होने हैं) में प्रवेश विश्वविद्यालय स्तरीय केन्द्रीयकृत ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली के आधार पर किये जायेंगे। प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नियम ही मान्य होंगे। अतः प्रतिदिन विश्वविद्यालय की वैबसाइट mjpru.ac.in तथा महाविद्यालय की वैबसाइट www.sahujainnbd.org का अवलोकन करते रहें।
2. किसी भी पाठ्यक्रम में अगली कक्षा में प्रवेश तभी दिया जायेगा जब विद्यार्थी पूर्व कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण हो। किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र को परीक्षा सुधार परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण होने की प्रत्याशा में अगली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा अर्थात् पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय छात्र अर्ह होना चाहिए।
3. (क) परीक्षार्थी को बी0ए0 / बी0एससी0 / बी0कॉम0 की परीक्षा अधिकतम 6 वर्ष की अवधि में और एम0ए0 / एम0एससी0 / एम0कॉम0 की परीक्षा 4 वर्ष की अवधि में पूर्ण करनी होगी। यह गणना उस शैक्षिक सत्र से की जाएगी, जिस सत्र में विद्यार्थी ने पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश प्राप्त किया है।
(ख) यू0एफ0एम0 के छात्रों को उतने वर्ष अधिक मिलेंगे, जितने वर्ष तक वह परीक्षा से वंचित रहे हैं।
4. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों को स्नातक की अगली उच्च कक्षाओं में प्रवेश के लिए अनुमत कर सकता है जिन्होंने पूर्व कक्षा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो। प्रवेश समिति के अनुमोदन के पश्चात् ही विद्यार्थी को प्रवेश दिया जायेगा और प्रवेश के समय उल्लिखित शर्तों को पूरा करना होगा; परन्तु जो विद्यार्थी किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम की परीक्षा के भाग 1, 2 अथवा 3 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गये हैं उन्हें इस महाविद्यालय में प्रवेश अनुमत नहीं होगा।
5. जिस विद्यार्थी ने किसी भी स्नातक पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की है उसे उसी स्नातक पाठ्यक्रम की अगली कक्षा में संस्थागत प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
6. एक विषय से स्नातक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों को संस्थागत रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। किन्तु प्रयोगात्मक विषय वाले छात्र/छात्रा को प्राचार्य की अनुमति से कक्षा में पढ़ने की अनुमति होगी किन्तु वह संस्थागत छात्र नहीं माना जाएगा और ऐसे छात्रों की संख्या स्वीकृत कुल सीटों की संख्या के अतिरिक्त मानी जाएगी अर्थात् ये स्थान अधिसंख्या होंगे, ऐसे छात्र

संस्थागत परीक्षा फार्म भरेगें। एक विषय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी अपने पूर्व के संकाय में ही परीक्षा दे सकेंगे।

7. स्नातकोत्तर स्तर के समस्त विषयों में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक स्तर की परीक्षा 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों (जिनका जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न हो) के लिए 45 प्रतिशत प्राप्ताकों (स्नातक स्तर की परीक्षा में) की बाध्यता नहीं होगी वरन् नियमानुसार 5 प्रतिशत प्राप्ताकों की छूट होगी अर्थात् न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 40 प्रतिशत प्राप्तांक होंगे।
8. छात्र एम.ए., एम.एससी. में प्रवेश के लिए उन्हीं विषयों में आवेदन कर सकता है जिन विषयों में उसने स्नातक अंतिम स्तर पर एक प्रमुख विषय के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण की हो। एम.कॉम. प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रवेशार्थी को बी.काम. परीक्षा 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करनी होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों (जिनका जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न हो) के लिए 45 प्रतिशत प्राप्ताकों (स्नातक स्तर की परीक्षा में) की बाध्यता नहीं होगी वरन् नियमानुसार 5 प्रतिशत प्राप्ताकों की छूट होगी अर्थात् उनके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 40 प्रतिशत प्राप्तांक होंगे। ऐसे प्रवेशार्थी जिन्होंने बी.ए./बी.एससी. अर्थशास्त्र अथवा गणित विषय से उत्तीर्ण किया है उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यह नियम संस्थागत छात्रों पर ही लागू होगा। बी.कॉम. या एम.कॉम. में किसी प्रकार के डिप्लोमा चाहे वह बोर्ड ऑफ एजुकेशन, उत्तर प्रदेश अथवा अन्य किसी बोर्ड से पास किया हो तो उसके आधार पर प्रवेशार्थी प्रवेश का पात्र नहीं माना जाएगा। इस प्रकार के डिप्लोमा को मान्यता प्रदान करने वाले पूर्व के सभी निर्णयों को निरस्त माना जाएगा।
9. (क) विश्वविद्यालय परीक्षा में अभद्र व्यवहार करने वाले विद्यार्थियों की शिकायत प्राप्त होने पर उन्हें किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
(ख) उस विद्यार्थी, जो पुलिस अभिलेखों के अनुसार हिस्ट्रीशीटर है या किसी अपराध में दोषी सिद्ध हुआ पाया गया है अथवा किसी अपराधिक मुकदमें में शामिल है; को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
(ग) जो विद्यार्थी महाविद्यालय के अधिकारी वर्ग, अनुशासन मंडल सहित महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी के प्रति निन्दनीय वातावरण का सृजन करेगा उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा भविष्य में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
10. जिन अभ्यर्थियों ने यू0पी0 बोर्ड एवं विश्वविद्यालय द्वारा मान्य अन्य किसी बोर्ड से इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उन्हें स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

11. स्नातक प्रथम सेमेस्टर की योग्यता सूची निर्धारण करने हेतु विद्यार्थी के कक्षा 12 के वोकेशनल विषय के प्रैक्टिकल के प्राप्ताकों को गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।
12. **CBSE** से कक्षा 12 उत्तीर्ण विद्यार्थियों के सभी विषयों (मुख्य एवं अतिरिक्त) के प्राप्ताकों को योग्यता सूची निर्धारण करने हेतु गणना में शामिल किया जाएगा।
13. विद्यार्थी जिस संकाय में प्रवेश का इच्छुक है उससे संबंधित विषय में यदि कक्षा 12 में किसी विषय में विद्यार्थी की **RT** है (**CBSE** बोर्ड की दशा में) तो ऐसे विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
14. किसी स्ववित्तपोषित महाविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए छात्र का उसी पाठ्यक्रम की अगली कक्षा में अनुदानित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं होगा।
15. एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में छात्रों का पारस्परिक स्थानान्तरण नहीं होगा।
16. यदि कोई छात्र/छात्रा सरकारी अथवा गैर सरकारी नौकरी कर रहा/रही है तो प्रवेश लेने से पूर्व उसे अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा और साथ ही साथ पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान छुट्टी लेनी होगी। अन्यथा की दशा में उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। यदि यह तथ्य छात्र छुपाता है और अध्ययन के दौरान विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के संज्ञान में बात आती है तो उसे परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

प्रवेश प्रक्रिया

1. प्रवेश प्रक्रिया के प्रथम चरण में स्नातक प्रथम सेमेस्टर एवं परास्नातक प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों में (जिसमें प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नहीं होते हैं) प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय की वैबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। विश्वविद्यालय की वैबसाइट पर पंजीकरण कराए बिना सीधे महाविद्यालय में प्रवेश नहीं होगा।
2. स्नातक प्रथम सेमेस्टर एवं परास्नातक प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये प्रवेशार्थी विश्वविद्यालय का **URN** नंबर प्राप्त होने पर महाविद्यालय की वेबसाइट www.sahujainnbd.org पर जाकर **SBI Collect** पर 200/- पंजीकरण शुल्क जमा कर तथा महाविद्यालय आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियां ऑनलाइन भरकर उसका प्रिंट निकालकर तथा आवश्यक संलग्नकों सहित महाविद्यालय में निर्दिष्ट कार्यालय सहायक के पास निर्धारित तिथि और समय के अन्दर जमा कर दें। इसके साथ विश्वविद्यालय की वैबसाइट पर पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति भी अवश्य लगायें।
3. आवेदन पत्र भरकर जमा करने की प्रारम्भिक एवं अन्तिम तिथि तथा स्थान के लिये महाविद्यालय नोटिस बोर्ड के सम्पर्क में रहें।
4. प्रवेश के लिये आवेदन पत्र जमा करने पर प्राप्त पंजीकरण की पावती (रसीद) साथ रखना आवश्यक है।
5. जिस कक्षा में प्रवेश के लिये आवेदन पत्र जमा किया है, उसी कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा। दूसरी कक्षा में प्रवेश के लिये आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा।
6. प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय में पंजीकृत प्रवेशार्थी द्वारा भरे गए आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये सभी प्रमाण पत्रों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी नियमों के अनुसार प्रवेश समिति मैरिट लिस्ट तैयार करेगी जिसे महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा।
7. जिन प्रवेशार्थियों का नाम मैरिट लिस्ट में होगा उन्हें समयान्तर्गत प्रवेश के लिए आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों को प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसका प्रवेश समिति सत्यापन करेगी। अतः आवेदक अपने मूल प्रमाण पत्र अपने साथ अवश्य लेकर आएं। आवेदन पत्र प्रवेशाधिकारी से अग्रसारित कराने के पश्चात् **SBI Collect** पर ऑनलाइन प्रवेश शुल्क जमा करें। ऑनलाइन शुल्क जमा कर रसीद प्रवेश समिति को दिखाने के पश्चात् ही प्रवेश मान्य होगा। उसके पश्चात् ही बायोमैट्रिक उपस्थिति की कार्यवाही तथा परिचय पत्र बनाने की कार्यवाही की जाएगी। यह भी संज्ञान में आया है प्रवेश के समय आवेदक स्वयं उपस्थित नहीं होते हैं। प्रवेश के समय आवेदक को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

8. स्नातक द्वितीय सेमेस्टर, स्नातक अंतिम वर्ष तथा परास्नातक अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रक्रिया महाविद्यालय द्वारा आंतरिक स्तर पर निर्धारित की जाएगी। इसी प्रक्रिया के अनुसार एवं विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार इन कक्षाओं में प्रवेश होंगे।
9. यदि कोई छात्र/छात्रा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के नियमों के विपरीत प्रवेश लेने में किसी भी प्रकार से समर्थ हो जाता/जाती है, तो मामला संज्ञान में आने के बाद किसी भी समय उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।



महाविद्यालय छोड़ने की औपचारिकताएँ

1. प्रवेश लेने के पश्चात् यदि कोई विद्यार्थी बीच सत्र में महाविद्यालय छोड़ता है तो महाविद्यालय कार्यालय को इसकी लिखित सूचना तुरन्त देना आवश्यक है। इसके साथ ही अपना परिचय पत्र चीफ प्रोक्टर को तथा पुस्तकालय कार्ड पुस्तकालय प्रभारी को लौटाना भी अनिवार्य है। ऐसा न करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।
2. स्नातक/स्नातकोत्तर कोर्स पूर्ण करने पर स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (T.C.) तथा चरित्र प्रमाण पत्र (C.C.) अवश्य प्राप्त कर लें।

स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निर्देश

1. कार्यालय से निर्धारित शुल्क रु. 1.00 मात्र देकर फार्म प्राप्त करें।
2. लेखा विभाग, पुस्तकालय एवं सम्बन्धित प्रयोगशाला से अदेय प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करायें।
3. उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित फार्म के साथ गत परीक्षा की अंकतालिका की छायाप्रति संलग्न करें।
4. कार्यालय में अपना परिचय पत्र दिखाकर सम्बन्धित लिपिक के पास निर्धारित फार्म जमा कर तीन दिन के पश्चात् स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (T.C.) प्राप्त करें।
5. सामान्यतः स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (T.C.) एक बार ही निर्गत किया जाता है। अतः एक बार निर्गत हो जाने पर इसे सम्भालकर रखें। अपरिहार्य परिस्थितियों में 10/- रुपये शुल्क तथा घोषणा पत्र जमा करके प्राचार्य की संस्तुति के बाद दूसरा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (T.C.) प्राप्त किया जा सकता है।

चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निर्देश

1. सामान्यतः विद्यार्थी को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के साथ एक चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाता है।
2. आवश्यकता पड़ने पर इसकी दूसरी प्रति लेने पर रु. 50/- शुल्क जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।

विद्यार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश/परामर्श

1. इस प्रविवरण में दिये हुए प्रत्येक नियम को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
2. यह महाविद्यालय नजीबाबाद नगर की सबसे बड़ी संस्था है। इसके छात्र होने पर आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि इसके सम्मान की रक्षा के लिए महाविद्यालय तथा महाविद्यालय से बाहर भी अन्य शोभनीय एवं सज्जनों जैसा व्यवहार करेंगे। शिक्षा जगत में इस संस्था को सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके विद्यार्थी काफी ऊँचे पदों पर पहुंचते हैं। अतः ज्ञानार्जन के क्षेत्र में परिश्रम के सहारे आगे जाने की ओर लगातार प्रयत्नशील रहें।
3. महाविद्यालय के नियमित संचालन तथा इसे श्रेष्ठतम बनाने में अपना हार्दिक सहयोग दें।
4. अपना आचरण और व्यवहार शुद्ध एवं निष्कलंक रखें। उच्चकोटि के अध्यापक-छात्र सम्बन्ध इस महाविद्यालय की विशेष परम्परा है। इस परम्परा का निर्वाह विशेष तौर पर करें।
5. महाविद्यालय समय सारिणी की उचित व्यवस्था हेतु कक्षाएँ किसी भी समय लगायी जा सकती हैं। घंटों/वादनो के परिवर्तन के लिए किसी भी प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करना संभव नहीं होगा। कक्षा में ठीक समय पर पहुँचे। कक्षा में आवश्यक पुस्तकें, लेखन उपकरण आदि सदा अपने साथ लेकर आयें।
6. बरामदे में न घूमें और कक्षाओं के सामने से गुजरते समय बात न करें क्योंकि ऐसा करने से कक्षा में छात्रों के अध्ययन और शिक्षकों के अध्यापन में विघ्न पड़ता है।
7. महाविद्यालय परिसर में लगे पेड़-पौधों को नुकसान पहुंचाना, दीवारों व कक्षाओं को गन्दा करना या उन पर कुछ लिखना दंडनीय है। ऐसी किसी क्षति का आकलन कर दोषी से दंड के रूप में राशि वसूल की जायेगी जो न्यूनतम 500/-रुपये होगी।
8. महाविद्यालय में मोबाइल लाना शासनादेश के अनुपालन में वर्जित है।
9. किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश, छात्रवृत्ति, परीक्षा तथा अन्य कार्यक्रमों संबंधी सूचना डाक द्वारा नहीं दी जाएगी। छात्र एवं छात्राएँ स्वयं इसके बारे में कॉलेज सूचनापट (Notice Board) को नियमित रूप से देखें। कॉलेज सूचनापट न देखने के कारण हुई हानि के लिए किसी भी प्रकार से महाविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
10. इस प्रविवरण में दिए गए प्रावधान मात्र मार्गदर्शन के लिए हैं। इनमें शासन/उच्च शिक्षा निदेशालय/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा कभी भी संशोधन किया जा सकता है और उस स्थिति में संशोधित प्रावधान ही मान्य होंगे।

महाविद्यालय प्रबंध समिति 2024–2025

1.	श्री धनुषवीर सिंह	अध्यक्ष
2.	श्री सुरक्षित गोस्वामी	उपाध्यक्ष
3.	श्री अरुण कुमार	प्रबन्धक
4.	श्री धर्मेश पारीक	सदस्य
5.	श्री सौरभ जैन	सदस्य
6.	सुश्री पूनम जैन	सदस्य
7.	श्री विशाल जैन	सदस्य
8.	श्री ऋषभदेव जैन	सदस्य
9.	श्री अमित गंभीर	सदस्य
10.	श्री अमित धस्माना	सदस्य
11.	श्री ओंकार पाण्डेय	सदस्य
12.	प्रोफेसर बलराम सिंह, प्राचार्य	पदेन सदस्य
13.	डॉ० मुकेश कुमार, शिक्षक प्रतिनिधि	पदेन सदस्य
14.	डॉ० पवन कुमार, शिक्षक प्रतिनिधि	पदेन सदस्य
15.	श्री शक्ति सिंह, शिक्षणेत्र कर्मचारी प्रतिनिधि	पदेन सदस्य

शुल्क का समाहित विवरण सत्र 2024-25

क्र.सं	कक्षा एवं विषय	शुल्क	
		छात्र	छात्राएं
1.	बी0ए0 व बी0 कॉम0 प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर	1879	1747
2.	बी0ए0 भूगोल/संगीत प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर	2144	2012
3.	बी0एससी0 (गणित) प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर	2384	2252
4.	बी0एससी0 (जीव विज्ञान) प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर	2624	2492
5.	बी0ए0 व बी0कॉम0 द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर	1859	1727
6.	बी0ए0 भूगोल/संगीत द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर	2099	1967
7.	बी0एससी0 (गणित) द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर	2339	2207
8.	बी0एससी0 (जीव विज्ञान) द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर	2579	2447
9.	बी0ए0 भाग – तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर	1659	1527
10.	बी0ए0 भूगोल/संगीत तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर	1899	1767
11.	बी0कॉम0 तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर	1659	1527
12.	बी0एससी0 (गणित) तृतीय वर्ष (एक प्रायोगिक विषय) पंचम सेमेस्टर	1899	1767
13.	बी0एससी0 (गणित) तृतीय वर्ष (दो प्रायोगिक विषय) पंचम सेमेस्टर	2139	2007
14.	बी0एससी0 (जीव विज्ञान) तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर	2139	2007
15.	एम0ए0 एवं एम0कॉम0 प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर	1887	1707
16.	एम0एससी0 (गणित) प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर	1887	1707
17.	एम0एससी0 (रसायन) प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर	2177	1997
18.	एम0ए0 एवं एम0कॉम0 द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर	1657	1477
19.	एम0ए0 एवं एम0एससी0 (गणित) द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर	1657	1477
20.	एम0एससी0 (रसायन) द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर	1897	1717
स्ववित्त पोषित			
01.	एम0ए0 (भूगोल), एम0ए0 (राजनीतिशास्त्र), एम0ए0 (अंग्रेजी) प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर	6000	6000
02.	एम0ए0 (भूगोल), एम0ए0 (राजनीतिशास्त्र), एम0ए0 (अंग्रेजी) द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर	6000	6000

नोट: उ0प्र0 शासन/म. ज्यो. फु. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली द्वारा यदि शुल्क में कोई वृद्धि की जाती है तो महाविद्यालय तदानुसार छात्र/छात्राओं से शुल्क प्राप्त करेगा।

शुल्क विवरण

सत्र : 2024-25

शुल्क विवरण	धनराशि
1. मेन्टिनेन्स शुल्क	
(1) शिक्षण शुल्क	132.00 / 180.00
(2) प्रवेश शुल्क	3.00
(3) पंजीकरण शुल्क	1.00
(4) मंहगाई शुल्क	42.00
2. नॉन मेन्टिनेन्स शुल्क	
(1) परिचय पत्र शुल्क	100.00
(2) विद्यार्थी कल्याण शुल्क	200.00
(3) क्रीड़ा शुल्क	100.00
(5) वार्षिक उत्सव शुल्क	100.00
(6) पत्रिका शुल्क	150.00
(7) प्राथमिक चिकित्सा शुल्क	12.00
(8) वाचनालय शुल्क	12.00
3. ग्रीष्म एवं शीत शुल्क	400.00
4. पुस्तकालय शुल्क	15.00
5. निर्धन छात्र कल्याण शुल्क	12.00
6. विकास शुल्क	30.00
7. रोवर्स/रेंजर्स शुल्क	50.00
8. प्रयोगशाला शुल्क (प्रति विषय शुल्क 240/-)	240.00 / 240.00
(1) भूगोल / संगीत	240.00 / 480.00
(2) गणित खण्ड	480.00 / 720.00
(3) जीव विज्ञान खण्ड	240.00
(4) एम.एससी. रसायन	
9. ऑनलाईन मेन्टिनेन्स शुल्क (Internet, Software, Website, CCTV etc.)	300.00
10. मिड-टर्म परीक्षा शुल्क	200.00
11. सुरक्षित धन शुल्क	
(1) प्रयोगशाला	25.00 / 50.00
(2) पुस्तकालय	20.00 / 30.00

नोट:- शासन के निर्देशानुसार छात्राओं से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है।